महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना : नियंत्रण-रोकथाम के लिए सभी विभागों में बनाए जाएंगे नोडल अधिकारी

» स्वास्थ्य विभाग से समन्वय रखेंगे नोडल अधिकारी

रायपुर (आरएनएस)। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लगातार संपर्क में रहकर जरूरी समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज परिपत्र जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी विभागों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर त्वरित सहयोग करने कहा है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को स्वास्थ्य व अन्य विभागों से समन्वय के लिए उपयुक्त वरिष्ठता एवं कार्यक्षमता के नोडल अधिकारी नियुक्त कर स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचित करने कहा है।

कोरोना : संक्रमण रोकने सभी तरह के आयोजन प्रतिबंधित

रायपुर (आरएनएस)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर 31 मार्च 2020 तक सभी प्रकार के निजी, अर्द्धशासकीय तथा शासकीय आयोजन प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी से संचालित सभी रूटों की बस सेवा 29 तक रहेगी बंद

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अब परिवहन विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए अधिकांश रूटों की बसों को 29 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत अब शहर के अंदर सिटी बसें भी नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विभाग ने एक आदेश जारी कर 29 मार्च तक बस सेवा को शटडाउन करने कहा है। इस आदेश के तहत राजधानी रायपुर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है, ताकि बाहर से कोई भी संक्रमण शहर तक न पहुंच सके। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज को पहले ही एम्स में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना का कहर और ज्यादा न फैले इसके लिए कल देश भर में जनता कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। इसके पूर्व परिवहन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से राजधानी रायपुर से संचालित होने वाली सभी बस सेवाओं को 29 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया जारी कर दिया है। इसके तहत बीआरटीएस की सेवा भी बंद रहेगी। रायपुर से बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, जगदलपुर, महासमुंद, नागपुर रूट के साथ ही अन्य रूटों की सभी बस सेवा को बंद रखने कहा गया है।

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालय 31 तक बंद

» कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आगामी 31 मार्च 2020 तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में राज्य

भूकंप : सुकमा से लेकर चेन्नई तक कांपी धरती

» रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई

रायपुर (आरएनएस)। देश में कोरोना जैसे विपदा के बाद छत्तीसगढ़ में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेमौसम बारिश के बीच आज सुबह जगदलपुर से 34 किलोमीटर दूर भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। मौसम विभाग प्रमुख एचपी चंद्रा ने बताया कि भूकंप का यह झटका जगदलपुर से 34 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रिक्टर पैमाने में 4.2 की तीव्रता के साथ दर्ज किया गया है। भूकंप का यह झटका आज सुबह 11.14 मिनट पर दर्ज किया गया है। श्री चंद्रा ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापा गया है तथा इसका केन्द्र भी इतने ही गहराई पर दर्ज किया गया है। भूकंप का केन्द्र अक्षांश 18.8 527 और देशांतर में 82.2315 है। इस भूकंप की तीव्रता सुकमा में भी दर्ज किया गया है।

महिला समूह बना रही ईको फ्रेंडली और रियूजेबल मास्क

» स्थानीय स्तर पर 15 से 17 रूपए में आसानी से हो रहा उपलब्ध

रायपुर। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मास्क की आपूर्ति को पूरा करने का बीड़ा उठाया है प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूहों ने। महिला समूहों द्वारा ईको फ्रेंडली और रियूजेबल मास्क तैयार किए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी गुणवत्तापूर्ण हैं।

सरगुजा जिले की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार गुणवत्तायुक्त मास्क आम लोगों को किफायती दर पर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए जिले के सभी सात विकासखण्डों में करीब 25 स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय सामग्री की मदद से थ्री लेयर कपड़े के मास्क तैयार किए हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर 15 से 17 रुपये में इसकी बिक्री की जा रही है। मास्क तैयार करने में अम्बिकापुर विकासखंड के एकता, संतोषी, साईबाबा स्व-

सहायता समूह, लखनपुर विकासखण्ड के आरती, नारीशक्ति, गायत्री स्व-सहायता समूह, उदयपुर विकास खंड के दुर्गा स्व सहायता समूह, मैनपाट विकास खंड के जय मां बूढ़ी दाई स्व-सहायता समूह लुण्ड्रा विकासखंड के प्रीति, तारा स्व सहायता समूह सहित विकासखंड बतौली और सीतापुर के करीब 25 स्व सहायता समूह की महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बिहान के माध्यम से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बिहान के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राहुल मिश्रा ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे कपड़े के मास्क पर्यावरण अनुकूल है तथा इसे 8 घंटे उपयोग करने के बाद एंटीसेप्टिक युक्त पानी से धोकर फिर से उपयोग किया जा सकता है।

इसी प्रकार धमतरी जिले में महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग ने कपड़ा उपलब्ध कराया है। जिसके माध्यम से वे रियूजेबल मास्क तैयार कर रही हैं। रियूजेबल मास्क की खासियत यह है कि स्वास्थ्य विभाग से मिले हरे रंग का कपड़ा साइंटिफिक एप्रूव्ड है। महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा यह मास्क धोकर फिर से उपयोग करने लायक है। इसे धोने के बाद दोबारा उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। मगरलोड क्षेत्र की सर्वोदय आजीविका स्व-सहायता समूह और जय माता दी स्व-सहायता समूह की 20 महिलाएं इस काम में लगातार जूटी हुई हैं।

बिहान योजना के सहायक परियोजना अधिकारी श्री जय वर्मा ने बताया कि महिला समूह मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिला कपड़ा कोरोना और अन्य वायरस के संक्रमण को कम करता है। यह मास्क जल्द ही शहर के अस्पतालों में भेजे जाएंगे। मास्क बनाने के लिए महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इसी तरह बालोद, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली सहित अन्य जिलों में भी महिला समूहों द्वारा बड़ी तादाद में मास्क बनाकर लोगों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

बिजली एवं स्वच्छता सहित अत्यावश्यक सेवाएं होंगी संचालित

दुर्ग। बिलासपुर और उनसे 75 किलोमीटर रेडियस स्थित सभी निकाय कार्यालय एक सप्ताह रहेंगे बंद पानी सभी अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति मुख्यालय में होगी अनिवार्य नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगर निगम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं उनसे 75 किलोमीटर की रेडियस में स्थित सभी नगरीय निकाय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें मुख्यालय, जोन ऑफिस, सब-डिविजन कार्यालय आदि सम्मिलित हैं (अत्यावश्यक सेवाओं- पानी, बिजली एवं स्वच्छता को छोड़कर) आगामी एक सप्ताह तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, बीरगांव, धमतरी, भिलाई चरोदा, रिसाली और संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति मुख्यालय में अनिवार्य होगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि इस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाए।

जिले में राशन दुकान, जनरल स्टोर्स एवं मेडिकल आलावा अन्य संस्थान रहेंगे बंद

जशपुरनगर। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जशपुर जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राशन दुकानों, मेडिकल स्टोर व अन्य दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री स्थानों के अलावा अन्य सभी संस्थानों, एवं दुकानों को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए है।

ज्ञात है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाये रखना अतिआवश्यक है। लोगों का एक-दूसरे के सम्पर्क में न आना ही संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। इस बीमारी के ईलाज के लिये अभी तक कोई दवाई नहीं होने के कारण संक्रमण को रोकना ही इससे बचाव का बेहतर तरीका है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जशपुर जिले की समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपाकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी मण्डियों व फल दुकानों, बेकरीसभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिस्ठानों को 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए आम जनता सावधानी और सतर्कता बरतें : उइके

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सजगता और सतर्कता बरतने को कहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के आग्रह में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक घर से बाहर न निकलें और साथ ही कोरोना संक्रमण के बचाव में लगे हुए चिकित्साकर्मी, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सुरक्षा बल, मीडियाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन के लिए उनके सम्मान में शाम को 5:00 बजे

अपने घर एवं बालकनी से तालीयां, थाली और घण्टी बजाकर उनका आभार व्यक्त करें, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके।

राज्यपाल ने कहा है कि इस बीमारी को लेकर विश्व के कुछ देशों में महामारी की स्थिति है। हमारे देश एवं प्रदेश में यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यक सावधानी बरतें, भीड़-भाड़ वाले स्थान में जाने से बचें। अपने आसपास साफ-सफाई रखे और अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोयें। यदि किसी को सर्दी या फ्लू हो तो खांसते समय रूमाल या टीसू पेपर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि आपस में मुलाकात के दौरान भारतीय परम्परा के अनुसार नमस्ते करें, हाथ न मिलाएं।

आपस में निश्चित दूरी बनाकर रखें। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखाई देते है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और परीक्षण कराएं, साथ ही सजग और जागरूक रहें। रूटीन चेक-अप के लिए अस्पताल जाने से बचें, जो सर्जरी बहुत आवश्यक न हो उसकी तारीख आगे बढ़वाएं।

'जनता कर्फ्यू' में केन्द्रीय गृह सचिव छत्तीसगढ़ के सचिव को लिखा पत्र

» 22 मार्च को सुबह 7 से शाम 9 बजे तक होगी 'जनता कर्फ्यू' की अवधि

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कोरोना संकट से निपटने के उपायों के मद्देनजर 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' के आव्हान के संबंध में भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल को पत्र लिखा है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को देश के नाम संबोधन में 'जनता कर्फ्यू' का आव्हान किया है। जिसमें लोगों से सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक अपने घरों में रहने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने 'जनता कर्फ्यू' के दौरान शाम पांच बजे देशवासियों से अपील की है कि वे डॉक्टरों, चिकित्सा के पेशे में लगे लोगों, साफ-सफाई में लगे लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दें। लोग अपने घरों की बालकनी, घर के दरवाजे पर खड़े होकर पांच मिनट तक ताली बजाकर, घण्टी बजाकर, थाली बजाकर अतिआवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव से यह भी आग्रह किया है कि सभी नगरीय निकायों, पंचायतों, अग्निशमन केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, पुलिस और रक्षा सेवाओं के संस्थानों में शाम पांच बजे सायरन बजाकर लोगों को इसकी सूचना दी जाए।

देशी-विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद

» रेस्टोरेंट, होटल बार भी 23 से 25 मार्च तक बंद रहेंगे » क्लब 23 से 31 मार्च तक रहेंगे बंद

रायपुर। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के रायपुर बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में मदद करेंगे वालंटियर्स

» सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वालंटियर्स गठित करने के दिए निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए युवाओं, नागरिकों को वालंटियर्स के रूप में संगठित किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर तथा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर युवाओं और नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वालंटियर्स और स्वयंसेवी व्यक्तियों के रूप में संगठित करने के निर्देश दिए गए है।

पत्र में कहा गया है कि निकट भविष्य में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासकीय अमलें के अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता हो सकती है।

कोरोना को लेकर जानकारियां वेबसाइड पर होगी अपलोड

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की लोगों को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने और अपुष्ट जानकारियों का फैलाव रोकने इस संबंध में जारी सभी आदेशों व निर्देशों को शासकीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और एन.आई.सी. के राज्य सूचना अधिकारी को परिपत्र जारी कर सभी आदेशों व निर्देशों को शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में जारी आदेशों व निर्देशों की सॉफ्ट-कॉपी एन.आई.सी. के राज्य सूचना अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराने कहा है।

» वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को नहीं भेजने के निर्देश

» पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शासकीय कार्य से राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे

डीजीपी ने सभी प्रशिक्षणों को तत्काल स्थगित करने के दिये निर्देश

रायपुर। डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों (रेल एवं प्रशिक्षण सहित) को निर्देशित किया है कि सभी पुलिस लाईन एवं प्रशिक्षण केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए।

प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायलीन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है इसलिए समंस/ वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को ना भेजने के

निर्देश दिए गए हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य से राज्य के बाहर बिना डीजीपी की अनुमति के ना जाने दें। यदि भेजा जाना जरूरी हो तो एसपी को डीजीपी से फोन पर अनुमति लेनी होगी। राज्य के अंदर भी बहुत जरूरी ना होने पर एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी थानों में अनावश्यक व्यक्तियों को पूछताछ के लिए ना बुलाएं और ना ही भीड़ लगने दें। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जाए। प्रदेश के बाहर अवकाश पर अधिकारी, कर्मचारी के वापस आने पर आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। यथासम्भव पुलिसकर्मियों की ड्यूटी फिक्स पिकेट एवं पेट्रोलिंग में लगाई जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहरी व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाए रखने के निर्देशित किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं. 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री ... के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना ... इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। ...

पीड़ित संपर्क करें — ... है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु — ...

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU